न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/82/2021	2021/134	16.04.2021	28.02.2022

1. बलविन्दर सिंह पुत्र श्री सप्पू सिंह, जाति लबाणा सिख, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग, पॉस कोड 16469, मूसाखेड़ा, ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा, तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर (राज0)।

–अपीलान्ट

बनाम

2. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

–रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थें का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका **–वकील अपीलान्ट**
02. श्री विभागीय पैरोकार **–वकील रैस्पोडेन्ट**

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 103/2020, पॉस मशीन कोड सं 16469 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2020 में प्रवर्तन निरीक्षक किशनगढबास द्वारा मनमाने तथ्य दर्ज करते हुए मातहत अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिस पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक 22.12.2020 को माननीय जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा निलम्बित फरमाया गया जिसके उपरान्त मिन अपीलान्ट के विरूद्व एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.12.2020 जारी किया गया जिसका समुचित जवाब मय दस्तावेज मिन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.01.2021 को मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे तत्समय मातहत अधिकारी द्वारा संतुष्टी जाहिर करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 05.03.'2021 को बहाल कर दिया गया था। परन्तु प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेश 30.03.2021 को एकपक्षीय रूप में मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त के पश्चात अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं हुई ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की गई ना ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया।

जिला रसद अधिकारी अलवर ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 30.03.2021 में अपीलान्ट के विरूद्व खाद्यान्न का गबन माना है। जबकि उचित मूल्य राशन सामग्री का वितरण बायोमेट्रिक पॉस मशीन में उपभोक्ता के फिंगर लगाकर या उपभोक्ता के दर्ज मोबाईल नं0 पर प्राप्त ओटीपी नं0 को पॉस मशीन में दर्ज करने के उपरान्त ही राशन सामग्री का वितरण वर्तमान में किया जाता है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को सही व उचित रूप में राशन सामग्री का वितरण किया गया है। जिस कारण से उक्त आरोप निराधान है जिस कारण से पेश अपील स्वीकर किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में उचित मूल्य दुकानदार है तथा 1/3 भाग ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है। जिसका प्राधिकार पत्र संख 1355/05 है जो वर्ष 2005 से बिना किसी व्यवधानर के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। वर्ष 2005 से मिन अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के मौके पर आकर कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही अपीलान्ट की उपस्थिति में कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई ना ही अपीलान्ट की उपस्थिति में कोई जांच रिपोर्ट तैयार की गई। प्रवर्तन अधिकारी ने ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा नवनिर्वाचित सरपंच मोहनलाल के दबाव में आकर जांच रिपोर्ट उनके निवास पर ही तैयार की गई और जांच रिपोर्ट में विवरण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का दिया गया है।

ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा के सरपंच पद के चुनाव वर्ष 2020 में हुए थे अपीलान्ट का पुत्र हरमीत सिंह भी ग्राम मूसाखेड़ा के सरपंच प्रत्याशी का चुनाव लडा था जो हार गया और श्री मोहनलाल चुनाव जीत गये जिस चुनावी रंजिश के चलते अपीलान्ट के विरूद्व सरपंच द्वारा झूठी शिकायतें की गई है एवं

जिला कलक्टर, अलवर

सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए एवं स्वंय का निजी लाभ के लिए एवं उचित मूल्य सामग्री का कमीशन लेने के लिए अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का अटेचमेन्ट स्वंय की पत्नी के नाम करवाया गया है। ग्राम पंचायत मूसाखेडा के सरंपच श्री मोहनलाल की पत्नी श्रीमती अनिता शर्मा उ.मू.दु. 1/3 भाग ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा पॉस कोड 30877 की है, जिसको वर्तमान में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का अटेचमेन्ट करवाया हुआ है।

जांच रिपोर्ट में दिलीप सिंह के गैंहू का गबन का बेजा आरोप लगाया गया है जबकि उपभोक्ता दिलीप सिंह के द्वारा राशन सामग्री बाबत मिन अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नहीं की गई है। और दिलीप सिंह को बायोमेट्रिक पॉस मशीन पर अगूंठा लगवाकर राशन सामग्री का वितरण किया गया है। संगूसिंह के द्वारा दिलीप सिह की बाबत झूठी शिकायत की गई है उपभोक्ता संगूसिह को माह दर माह उचित मूल्य सामग्री प्राप्त होती रही है एवं झूठी शिकायत करने के उपरान्त संगूसिह के द्वारा अनिता शर्मा उ.मू.दु. से राशन सामग्री प्राप्त की जा रही है। उपभोक्ता उजागर सिंह के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है उजागर सिंह की बाबत जांच रिपोर्ट गलत रूप में तैयार की गई है पिंकी पत्नी मंगलसिंह के बयान लिये गये है, जिसने कहा बायोमेट्रिक पॉस मशीन सत्यापन से राशन सामग्री प्राप्त की गई है। उपभोक्ता अमृत कौर को बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन सामग्री प्राप्त होती रही है। उक्त उपभोक्ता अमृत कौर का मोबाईल नं0 आधार कार्ड से लिंक नही है जिस कारण से ओटीपी नही जाता है। उक्त बाबत जांच रिपोर्ट में बेजा आरोप विरचित किये गये है।

जांच रिपोर्ट में अन्य उपभोक्ताओं के जो नाम दर्ज किये गये है उनके राशन कार्ड वर्तमान सरपंच द्वारा डिलीट करवाये गये है। ताकि उपभोक्ता डीलर के विरूद्व शिकायत करें। अपीलान्ट द्वारा किसी उपभोक्ता का राशन कार्ड डिलीट नहीं करवाया गया है। उक्त आरोप झूठे रूप में प्रकरण बनाने की नियत से दर्ज किया गया है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के यहां पूर्व में संगूसिंह द्वारा झूठी शिकायत की गई थी, जिसकी उपखण्ड अधिकारी द्वारा हल्का कानूनगो व पटवारी से जांच करवाई गई, जिस जांच में उक्त शिकायत झूठी पाई गई एवं पॉस मशीन पर उपभोक्ता के द्वारा पॉस मशीन पर अगूंठा लगाकर राशन सामग्री प्राप्त किया जाना पाया गया। जांच रिपोर्ट दिनांक 17.05.2020 की प्रति अपील हाजा के साथ संलग्न कर पेश की गई है। मिन अपीलान्ट की उ.मू.दु. 1/3 भाग ग्राम पंचायत मूसाखेडा पर उपभोक्ताओं के वितरण वास्ते 169 एवं 07 किलो ग्राम गेहू एंव 856 किग्रा चना दाल स्टॉक में उपलब्ध है। अपीलान्ट के विरूद्व उचित मूल्य सामग्री के खुर्द बुर्द करने एवं गबन करने का कोई आरोप नही है जो आरोप प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2020 के आधार पर अपीलान्ट को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.12.2020 में वर्णित किये गये है वो चुनावी रंजिश के चलते प्रकरण बनाने के लिए झूठे रूप में दर्ज किये गये है जिनके आधार पर जारी निर्णय दिनांक 30.03.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र पूर्व की भांति बहाल किये जाने योग्य है।

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ.13(49)खा.वि./आंवटन/20115–2 जयपुर दिनांक 24.03.2017 के क्रम सं0 1 पर दर्ज किया गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2016 के बिन्दु संख्या 1 की प्रकिया सामान्य रूप से विलोपित कर दिनांक 01.04.2017 के उपरान्त राशन सामग्री पी.ओ.एस. का उपयोग कर ही भामाशाह/आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मिटिंग करके समस्त राशन डिलरों को यह निर्देश दिये थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है जिसमें राशन कार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं है।

जिला रसद अधिकारी अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 30.03.2021 काबिल निरस्तनीय है व अपील स्वीकार फरमाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है। जिस कारण से पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 103/2020 सरकार बनाम बलविन्दर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1355/05 निरस्त किया है व एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिये है को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1355/05 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान 1/3 भाग ग्राम पंचायत मूसाखेडा, तहसील किशनगढ़बास का उठाव एवं वितरण चालू करने आदेश फरमायें जाने की कृपा करें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की आदेश 1976 की शर्त संख्या 11, 17(सी), 18 एवं खण्ड 6, 20 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए जांच रिपोर्ट में वर्णित उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण नहीं कर उनकों मिलने वाले खाद्यान्न, केरोसीन की मात्रा का गबन किये जाने की सही पुष्टी होने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुने बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जान–बूझकर राजनैतिक दबाव में आकर रंजिश से प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना सुनवाई के अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र उजागर सिंह, अमृत कौर, बिजेन्द्र सिंह, तारा सिंह, तुलसा After Thought (बाद विचार) पेश किये गये है इसलिए After Thought (बाद विचार) पेश किये गये शपथपत्रों से यह कतई नहीं माना जा सकता की अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण में तत्समय कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब दिनांक 04.01.2021 को पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को जवाब का प्रर्याप्त अवसर देकर जवाब का अवलोकन व विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है, पवर्ततन निरीक्षक किशनगढ़बास द्वारा शिकायतकर्ताओं के बयान दिनांक 21.12.2020 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा शिकायतकर्ताओं को राशन सामग्री नहीं दी गई ओर 16.20 क्वि0 गैंहू, 59.50 लि0 केरोसिन व किग्रा0 दाल का दुरूपयोग कर गंभीर अनियमितता की गई अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17(सी), 18 एवं खण्ड 6, 20 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जहां तक अपीलान्ट का यह तर्क की उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया निराधार प्रतीत होता है, क्योंकी तहत अदालत में अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 30.03.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)